302

वित्तीय स्वीकृति / पुनर्विनियोग / आयोजनागत
संख्या– 71 / XVII-3 / 16–07(37) / 2008

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः 21 जून, 2016**

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में "अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण" (100% के0स0) एस.पी.क्यू.ई.एम. के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–23/नि.अ.क./779–पुर्नविनियोग/SPQEM/2016–17, दिनांक 06.04.2016 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.02.2016, 26.02.2016 तथा 01.03.2016 द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 568.2475 लाख को वित्तीय वर्ष 2016–17 के स्वीकृत लेखानुदान में एस.पी.क्यू.ई.एम. योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 166.67 लाख तथा कम पड रही शेष धनराशि ₹ 401.5775 लाख को संलग्न बी0एम0–09 के अनुसार व्यावर्तित करते हुए कुल धनराशि ₹ 568.2475 लाख (₹ पॉच करोड अडसठ लाख चौबीस हजार सात सौ पचास मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. धनराशि का भुगतान अध्यापकों के खाते में ऑनलाइन किया जायेगा तथा जैसे–जैसे ऑनलाइन की प्रकिया पूर्ण होती रहेगी उक्तानुसार ही धनराशि का भुगतान ऑनलाइन किया जायेगा।
2. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदानों की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. धनराशि का व्यय करते हुए एस.पी.क्यू.ई.एम. हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त मद में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. धनराशि का उपयोग करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
11. बी0एम0–4 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के स्वीकृत लेखानुदान के अनुदान संख्या–15 के "आयोजनागत" पक्ष के लेखाशीर्षक "2250–अन्य सामाजिक सेवायें –00–800–अन्य व्यय–05–अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (100% के0स0) के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग संलग्न बी0एम0–09 के अनुसार किया जायेगा।
13. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0 संख्याः 23(P)/XXVII(3)/2016-17, दिनांक 20 जून, 2016 तथा एलोटमेंट आई.डी.संख्या–S1606150200, दिनांक 21 जून, 2016 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्याः 564 (1)/XVII-3/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल/कुमायूं मण्डल, पौडी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरदून।
8. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।